आर. ई. ओ. 22

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अ०-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 614 दिनांक : 20-6-2002

परिपत्र

विषय :– निरस्त किये गये आवेदन पत्रों के संबंध में ।

पिछले कुछ वर्षो से राज्य में लगातर अकाल / सूखे के कारण कृषि आवेदको के मांग पत्र की राशि जमा न कराने पर अथवा कुआं खुदा हुआ नही पाये जाने पर एक नियत अवधि के बाद प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने के प्रावधान से असुविधा का सामना करना पड़ रहा था । इसमे राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिनाक 3–6–2002 की समन्वय समिति के बैठक में यह निणय लिया गया है कि दिनांक 1–4–1999 से 31–3–2002 तक के वे आवेदन जिनकी पत्रावलियां कुआं न खुदा होने अथवा मांग पत्र की राशि जमा नही करवा सकने के कारण निरस्त की जा चुकी है उन्हे एक विज्ञप्ति के माध्यम से 60 दिवस (15 जून से 15 अगस्त तक) की अवधि मे अपना प्रार्थना–पत्र पुर्नजीवित करवाने बाबत एक और अन्तिम अवसर प्रदान किया जावे । इस अवधि में प्राप्त आवेदनों से पूर्व में जारी आदेश संख्या 2024 दिनांक 15–12–1998 (आर.ई.ए. 141) के अनुसार 500/– रूपये लेकर पत्रावली को पुर्नजीवित कर दिया जावे । विज्ञप्ति की जानकारी कार्यालय उपखण्ड (पवस) के सूचना पट्ट के अतिरिक्त समाचार पत्रों, जिला कलेक्टर, जिला परिषद एव पंचायत समिति कार्यालय पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे ।

" यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(एच०एस०देवड़ा)
उप–मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।